<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम० जलेसर, एटा</u>

**उपस्थित: श्री मोहित कुमार (JO Code- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा**

वाद संख्या/एफ०आर० संख्या– 06/2026

बृजेश कुमार **–बनाम–** अज्ञात

अपराध संख्या– 54/2025
धारा– 303 (2) बी०एन०एस०
थाना– सकरौली, जिला एटा

<u>दिनांक 07.04.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी मुकदमा उपस्थित।

उक्त वाद में संबंधित थाना पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिस पर वादी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। वादी ने मुकदमा स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर संक्षिप्त में कथन किया है कि मैं एफ आर नं० 06/2026 में वादी हूँ। मेरी मोटरसाइकिल जिसका नम्बर यू०पी० 82 वाई 0087 सैयद चौराहा से खेत पर खड़ी थी। साम 06.00 बजे मेरी मोटरसाइकिल मेरे खेत पर नहीं मिली। तब मैंने चोरी की रिपोर्ट थाना सकरौली में करायी थी। जिसकी विवेचना की गई, परन्तु मेरी मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चला तब मेरे मुकदमा की अन्तिम आख्या लगाकर न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा अन्तिम आख्या को स्वीकार होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः अन्तिम आख्या स्वीकार करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में मु० अ० सं० 54/2025 में विवेचक द्वारा इस आशय की अंतिम आख्या दाखिल की गई है कि अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाह, निरीक्षण घटना व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटर साइकिल का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। और न कोई निकट भविष्य में पता चलने की संभावना प्रतीत हो रही है। पतारसी सुरागरसी जारी रखते हुए विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट सं० 18/2025 दिनांक 01.08.2025 को समाप्त की जाती है।

विवेचक द्वारा विवेचना कर अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है जिस पर वादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। वादी का न्यायालय में दिनांक 13.03.2026 को बयान अंकित किया गया है। उक्त बयान में भी वादी ने यह कथन किया है कि अंतिम आख्या स्वीकार होने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। वादी मुकदमा ने स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर इन तथ्यों की पुष्टि की है।

ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना सही एवं निष्पक्ष प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>–आदेश–</u>**

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या 18/2025 दिनांकित 01.08.2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(मोहित कुमार)**
**सिविल जज (जु०डि०) /**
**जे०एम०, जलेसर, एटा।**
**(JO Code- UP 4823)**